



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 47-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, शनिवार, दिनांक 20 मार्च, 2021 (29 फाल्गुन, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृष्ठ

भाग I अधिनियम

कुछ नहीं।

भाग II अध्यादेश

कुछ नहीं।

भाग III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या सांका०नि० 6/संवि०/अनु० 309/2021, दिनांक 20 मार्च, 2021 —
हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं अधिसूचना संख्या 523-3जी.एस-70/
2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में संशोधन करने बारे।

(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)

207-208

भाग IV शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।

भाग—III**हरियाणा सरकार**

सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य सेवाएं—I)

अधिसूचना

दिनांक 20 मार्च, 2021

संख्या सा.का.नि. 6/संवि./अनु.309/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं, अधिसूचना संख्या 523—3जी0एस0—70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं, अधिसूचना संख्या 523—3जी0एस0—70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, पैरा 1 में, "ग्यारह सदस्यों" शब्दों के स्थान पर, "सात सदस्यों" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(GENERAL SERVICES-I)

Notification

The 20th March, 2021

No. G.S.R. 6/Const./Art.309/2021.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department, General Services, notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, General Administration Department, General Services, notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, in paragraph 1, for the words “eleven members”, the words “seven members” shall be substituted.

VIJAI VARDHAN,
Chief Secretary to Government, Haryana.